Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 ◘ अंक- 84 ◘ रायपुर, शनिवार 18 अप्रैल 2026 ◘ पृष्ठ-8 ◘ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

यह आरक्षण नहीं, परिसीमन का धोखा थाः प्रियंका गांधी

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (न्यूज चैनल)। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस विधेयक के पास न होने पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी प्रहार शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे सरकार की चुनावी चाल कहा है, जबकि बीजेपी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। प्रियंका ने दावा किया कि यह असल में महिला आरक्षण का बिल नहीं था, बल्कि परिसीमन का बिल था। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण के नाम पर परिसीमन की बात को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच इस बिल को इतनी हड़बड़ी में लाने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने इसे सत्ता पाने की छटपटाहट करार दिया। प्रियंका ने मांग की कि सितंबर 2023 में जो महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था, उसे बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। इसे लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और बीजेपी ने कांग्रेस सहित पूरे इंडिया ब्लॉक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि विपक्ष ने ऐतिहासिक सुधार को रोककर अपनी महिला विरोधी मानसिकता दिखाई है।

प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलावः 50% बेसिक सैलरी का नियम लागू

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (न्यूज चैनल)। 1 अप्रैल से लागू हुए नए लेबर कोड के तहत सरकार द्वारा किए बदलाव के बाद इस महीने से आपकी सैलरी में कम आ सकती है। दरअसल, अब नए नियम के अनुसार, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कुल सैलरी का कम से कम 50 प्रतिशत होना जरूरी होगा, जबकि बाकी हिस्सा अलाउंस के रूप में दिया जाएगा। नए नियम के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी की बेसिक पे और महंगाई भत्ता उसकी कुल सीटीसी का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। बाकी बचे 50 प्रतिशत हिस्से में ही अन्य भत्ते शामिल किए जा सकेंगे। यह नियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है। जिनकी बेसिक सैलरी इससे कम है, उनकी इन-हैंड सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि आपकी जेब में आने वाले पैसे थोड़े कम होंगे, लेकिन इसके लॉन्ग-टर्म फायदे बड़े हैं जैसे कि... पीएफ में ज्यादा पैसा कटने का मतलब है कि रिटायरमेंट के समय आपको एक मोटी रकम मिलेगी।

बिरादरी की बात

चूहा- लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक गिर गया। चुहिया- हां जी, यहां तो शेयर बाजार से लेकर संसद तक सब धड़ाम ही धड़ाम है।

आरटीई की फीस को लेकर तकरार बरकरार

प्राइवेट स्कूलों में आज तालाबंदी

रायपुर, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस, प्रतिपूर्ति राशि को लेकर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच मामला सुलझ नहीं पा रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन करने वाले एसोसिएशन ने प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोत्तरी नहीं किए जाने से नाराज होकर आज प्रदेशभर में प्राइवेट स्कूलों में तालाबंदी कर दी है।

छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत मिलने वाली फीस प्रतिपूर्ति बढ़ाने की मांग को लेकर निजी स्कूलों का विरोध तेज हो गया है। आज पूरे प्रदेश के निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। स्कूल संचालकों का कहना है, लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। गौरतलब है कि बंद से एक दिन पहले निजी स्कूल संचालकों, शिक्षकों और स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर काम किया और शासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। यह प्रदर्शन प्रतीकात्मक था, लेकिन इसके जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई।

छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय प्रबंधन संघ के नेतृत्व में एक मार्च से असहयोग आंदोलन जारी है। एसोसिएशन का कहना है, बार-बार मांग रखने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे संचालकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एसोसिएशन ने साफ कहा है, यदि फीस प्रतिपूर्ति में वृद्धि नहीं की गई, तो लॉटरी के माध्यम से चयनित आरटीई छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह फैसला शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री व विभाग के अफसरों को पत्र लिखकर एसोसिएशन ने कहा है, 13 अप्रैल को शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में इस बात का उल्लेख है, शिक्षा के अधिकार कानून में प्रतिपूर्ति राशि का निर्धारण शासकीय विद्यालय में प्रति विद्यार्थी होने वाले व्यय या निजी स्कूल की वास्तविक फीस (दोनों में से जो भी कम हो) प्रतिपूर्ति राशि निर्धारण का आधार होगा। शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 12 की उपधारा 2 में भी प्रतिपूर्ति राशि निर्धारण में इस नियम का उल्लेख है। स्कूल शिक्षा विभाग इस वर्ष शासकीय स्कूलों में होने वाली प्रति विद्यार्थी राशि को सार्वजनिक करें ताकि निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि का निर्धारण हो सके, क्योंकि प्रतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण 2011 से अब तक नहीं हुआ है।

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक बना कानून, राजपत्र में हुआ प्रकाशित

रायपुर, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक लगाने 19 मार्च को विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है. विधेयक पर 6 अप्रैल को राज्यपाल रमेन डेका के हस्ताक्षर करने के बाद अब छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 19 मार्च को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 को विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था. विधेयक का उद्देश्य राज्य में धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करना है।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने विधेयक के संबंध में कहा था कि वर्ष 1968 से लागू प्रावधान वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं रह गए थे. बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में धर्मांतरण से जुड़े विवादों के कारण सामाजिक तनाव और वर्ग संघर्ष की स्थितियां बनीं, जो कई बार प्रशासन और न्यायालय तक पहुंचीं. ऐसे परिदृश्य में एक स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे समाज में बार-बार उत्पन्न होने वाले विवादों को रोका जा सके और समरसता को बनाए रखा जा सके। विधेयक में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं. अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा, जिसके बाद निर्धारित समय-सीमा में सूचना सार्वजनिक की जाएगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी. जांच के उपरांत ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहे, लेकिन यह परिवर्तन किसी दबाव, प्रलोभन या भय के कारण न हो, इसकी जांच अनिवार्य होगी। इस कानून में धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पंजीयन अनिवार्य किया गया है. इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी को हर वर्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें धर्मांतरण से संबंधित जानकारी का विवरण शामिल होगा. ग्राम सभा को भी इस प्रक्रिया में भागीदारी दी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

युवक ने सरेराह खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, घटना से मचा हड़कंप

बिलासपुर, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने सरेराह खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की है. आपसास मौजूद लोगों ने भागकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाई. हालांकि उसका शरीर 80 प्रतिशत झुलस गया है. वहीं युवक की बाइक भी जलकर खाक हो गई है. इस घटना से जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है. यह मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल, घटना के दो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. इसमें युवक पहले एक पेट्रोल पंप से डिब्बे में पेट्रोल डलवाते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद दूसरे फुटेज में युवक बाइक रोककर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाते हुए दिखाई देता है. पीड़ा से युवक सड़क पर गिर जाता है. आसपास मौजूद लोगों ने भागकर युवक के शरीर पर लगी आग बुझाई. जानकारी के मुताबिक, घटना में युवक करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गया है. गंभीर हालत में युवक को तत्काल सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

सक्ती पावर प्लांट हादसा: मौतों का आंकड़ा 23 पहुंचा

चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 19 पर एफआईआर

सक्ती, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला दिया है। बीते 12 घंटों में तीन और श्रमिकों के दम तोड़ने के बाद मरने वालों की कुल संख्या अब 23 तक पहुंच गई है। इस हादसे में जान गंवाने वालों में 5 श्रमिक छत्तीसगढ़ के हैं जबकि 18 अन्य राज्यों से थे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और प्लांट हेड देवेंद्र पटेल सहित 19 जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद अपराध दर्ज किया है। हादसे में घायल 12 अन्य श्रमिकों का इलाज रायपुर और रायगढ़ के अस्पतालों में जारी है जहां कुछ की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। हादसे की प्रारंभिक तकनीकी जांच में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फोरेंसिक और पुलिस विशेषज्ञों की टीम ने पाया कि बॉयलर के फर्नेस में जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा होने के कारण दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया था जिससे पाइप फट गया और जोरदार धमाका हुआ।

मजिस्ट्रियल जांच के आदेश: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देते हुए सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राहत के तौर पर राज्य सरकार और पीएमओ ने मुआवजे की घोषणा की है वहीं प्लांट प्रबंधन ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 35 लाख रुपए की सहायता राशि और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है।

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बचाव में उतरे भाजपा सांसद नवीन जिंदल

वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए हादसे में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बचाव में भाजपा सांसद और बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल सामने आए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया में अपने पोस्ट के जरिए पावर प्लांट हादसे में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होने के बाद भी अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर सवाल उठाया है. हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुने गए भाजपा सांसद और जिंदल स्टील के चेयरमैन नवीन जिंदल ने इंस्टाग्राम में किए अपने पोस्ट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की यह त्रासदी बेहद पीड़ादायक है. 20 परिवारों ने सब कुछ खो दिया है. प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा, आजीविका का समर्थन और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच अनिवार्य है।

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ा तनावः 'एक घंटे में सात दावे, सभी झूठे', ट्रंप की नाकाबंदी पर गालिबाफ का सख्त पलटवार

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (न्यूज चैनल)। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। एक ओर दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी ओर बयानबाजी ने हालात को और अधिक गरमा दिया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक घंटे में सात दावे किए, जिनमें से सातों झूठे थे। हालांकि गालिबाफ ने यह साफ नहीं किया कि वे किन बयानों की बात कर रहे थे।

ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी, तो ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने पर मजबूर हो सकता है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (एक्स) पर लिखा कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही केवल तय रूट और ईरानी अनुमति के आधार पर ही होगी। उन्होंने साफ कहा कि नाकाबंदी जारी रही तो जलडमरूमध्य खुला नहीं रहेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। उनके अनुसार ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने और इसे कभी बंद न करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी, जब तक दोनों देशों के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ रविवार से बातचीत आगे बढ़ेगी और इसका उद्देश्य स्थायी सीजफायर की दिशा में ठोस कदम उठाना होगा। उनके मुताबिक ईरान समुद्री रास्तों से हटाई गई माइन हटाने में अमेरिका की मदद कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंप देगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को अनिश्चित समय के लिए रोकने पर सहमत हो गया है।

तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा

बस के पलटने और कई वाहनों से टकराने के कारण केरल के 9 शिक्षकों की मौत

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (न्यूज चैनल)। तमिलनाडु के सेलम जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। सेलम-कोयंबटूर नेशनल हाईवे पर एक सरकारी बस के अनियंत्रित होकर सड़क से उतरने और कई वाहनों से टकराने के कारण कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। मारे गए सभी लोग पेशे से शिक्षक थे और केरल के मलप्पुरम जिले के रहने वाले थे।

इस हादसे में जिन लोगों की जान गई, वे सभी पेशे से शिक्षक थे। जिला कलेक्टर के दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक, बस कोयंबटूर से सेलम की ओर जा रही थी। 13वें हेयरपिन मोड़ पर ड्राइवर का बस से कंट्रोल हट गया, जिसके बाद बस अचानक सड़क से उतर गई। बस एक दोपहिया वाहन और एक ऑटो-रिक्शा से टकरा गई, जिसमें करीब 10 यात्री सवार थे। इसके बाद बस 9वें हेयर यूर्पिन मोड़ पर नीचे गिर गई। बस में केरल के पेरिंथलमान्ना से आए 13 टूरिस्ट सवार थे।

डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में मुख्यमंत्री का आह्वान

क्रिएटर्स दिखाएं बदलते छत्तीसगढ़ की नई पहचान

रायपुर, 18 अप्रैल (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में देशभर से आए कंटेंट क्रिएटर्स का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल एक राज्य नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और प्रकृति का संगम है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह भूमि भगवान श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या के मायके के रूप में जानी जाती है। वनवास के 14 वर्षों में से अधिकांश समय भगवान श्रीराम ने यहीं व्यतीत किया, जिसके प्रमाण आज भी प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर मिलते हैं। उन्होंने माता शबरी की भक्ति, दंडकारण्य और अबूझमाड़ जैसे ऐतिहासिक-आध्यात्मिक स्थलों का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत को रेखांकित किया।

उन्होंने संत गुरु घासीदास जी के मनखे-मनखे एक समान के संदेश को याद करते हुए कहा कि सत्य और अहिंसा की यह परंपरा आज भी प्रदेश की आत्मा में समाहित है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहा छत्तीसगढ़ आज तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के परिणामस्वरूप प्रदेश अब नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में निर्णायक सफलता हासिल कर चुका है। उन्होंने बताया कि पहले जहां प्रदेश का बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित था, वहीं अब विकास की मुख्यधारा गांव-गांव तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग को प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की अपार संभावनाओं से परिपूर्ण बताते हुए कहा कि यहां के जलप्रपात, घने वन, संस्कृति और जनजातीय जीवन देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूनेस्को द्वारा बस्तर के धुड़मारास गांव को विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स से आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए बस्तर और छत्तीसगढ़ की सकारात्मक छवि देश-दुनिया तक पहुंचाएं।

मुख्यमंत्री साय ने उदाहरण देते हुए बताया कि बस्तर के दिव्यांग बालक मड्डा राम का वीडियो वायरल होने पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा उन्हें क्रिकेट किट भेजी गई—यह सोशल मीडिया की ताकत का प्रमाण है। प्रदेश में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत पिछले दो वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही, छत्तीसगढ़ विजन 2047 के माध्यम से राज्य को विकसित बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, राशन, बनाधिकार पट्टा और दूरसंचार जैसी सुलभ सुविधाएं सुदूर गांवों तक पहुंचाई गई हैं। बस्तर ओलंपिक और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

दिल्ली के विवादित विश्वविद्यालय के छात्रों और सियासी दल ने मजदूरों को भड़काया, जांच में खुलासा

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (न्यूज चैनल)। नोएडा में हुए बवाल को भड़काने के पीछे दिल्ली के एक विवादित विश्वविद्यालय के छात्रों और एक सियासी दल के लोगों का हाथ था। जांच के दायरे में आए सियासी दल का जुड़ाव कुछ नक्सली संगठनों से भी है। शासन के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रही एसटीएफ की जांच में इसके पुख्ता सुराग हाथ लगे हैं। एसटीएफ इसमें शामिल लोगों को तेजी से चिन्हित कर रही है। जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, नोएडा में बवाल शुरू होने के बाद दिल्ली के एक विश्वविद्यालय के छात्रों का एक गुट वहां पहुंचा, जिसने मजदूरों के गुस्से को भड़काया। इस गुट ने ही गाड़ियों में आग लगाई और पुलिस को निशाना बनाया। इसके अलावा एक राजनीतिक दल के समर्थक भी उनके साथ नोएडा गए थे, जिन्होंने मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाया था।

पुलिस की सख्ती बढ़ने पर उन्होंने वापस दिल्ली का रुख किया लेकिन कुछ मेट्रो स्टेशन से उन्हें दबोच लिया गया। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि उनका मकसद मजदूरों के प्रदर्शन को हिंसक रूप देना था। जांच में यह भी सामने आया कि इसी गुट ने हरियाणा के मानेसर में बीती 9 अप्रैल को हुए प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का प्रयास किया था ताकि औद्योगिक क्षेत्र में दंगा भड़क जाए। एसटीएफ इस मामले में तमाम ऐसे व्हाट्सएप्प ग्रुप को खंगाल रही है, जिनके जरिये मजदूरों को भड़काया गया था। इस गुट से जुड़े लोगों का नोएडा या मानेसर में प्रदर्शन करने वालों से कोई वास्ता नहीं था। एसटीएफ नोएडा और मानेसर की घटना में शामिल लोगों का मिलान जांच के दायरे में आए व्हाट्सएप्प ग्रुप से कर रही है।